

**Section 12 : Power to make rules**

- (1) The Central Government shall, on the recommendations of the Council, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.
  - (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
    - (a) the conditions which were included in the total base year revenue of the States, referred to in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, under sub-section (3) of section 5;
    - (b) the conditions subject to which any part of revenues not credited in the Consolidated Fund of the respective State shall be included in the total base year revenue of the State, under sub-section (6) of section 5;
    - (c) the manner of refund of compensation by the States to the Central Government under sub-section (6) of section 7;
    - (d) the manner of levy and collection of cess and the period of its imposition under sub-section (1) of section 8;
    - (e) the manner and forms for payment of cess, furnishing of returns and refund of cess under sub-section (1) of section 9; and
    - (f) any other matter which is to be, or may be, prescribed, or in respect of which provision is to be made, by rules.
-

**धारा 12 : नियम बनाने की शक्ति**

- (1) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी।
  - (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :
    - (क) ऐसी शर्तें, जो धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन, संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उपखंड (छ) में निर्दिष्ट राज्यों के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित की गई थी;
    - (ख) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए क्रमिक राज्य की संचित निधि में जमा नहीं किए गए राजस्वों का कोई भाग धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन राज्य के कुल आधार वर्ष राजस्व में सम्मिलित किया जाएगा;
    - (ग) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय सरकार को राज्यों द्वारा प्रतिकर के प्रतिदाय की रीति;
    - (घ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर के उद्ग्रहण और संग्रहण की रीति तथा उसके अधिरोपण की अवधि;
    - (ङ.) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उपकर के संदाय के लिए, विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने के लिए तथा उपकर के प्रतिदाय के लिए रीति और प्ररूप; और
    - (च) ऐसा कोई अन्य विषय, जो इन नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके सम्बन्ध में उपबन्ध किया जाना है।
-